87

COURT FEE 20 Rs भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

क्रमांक 2098
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 26-7-12 को प्राप्त

26-7-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी प्रकरण क्रमांक ----------/2012

R. 2586-I/12

मोह0 सब्बीर तनय शौकत खां उम्र 55 साल पेशा खेती निवासी ग्राम धनौर तहसील मझौली, जिला सीधी म0प्र0 ------- निगरानीकर्ता

बनाम,

जमुना प्रसाद साहू तनय रघुनन्दन साहू उम्र 55 साल पेशा खेती सा0 मुड़हेरिया तहसील मझौली, जिला सीधी म0प्र0 ------- अनावेदक

अधिवक्ता श्री अरुणेन्द्र पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत
रीवा दि0 24.07.2012
24.7.12

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान तहसीलदार उप तहसील मड़वास तहसील मझौली जिला सीधी म0प्र0 प्रकरण क्रमांक- 21/अ-74/2011-12 मे पारित आदेश दिनांक 28.3.12,

---

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य

1/ यहीक ग्राम धनौर तहसील मझौली जिला सीधी की भूमि पुराना नम्बर 27/4 नया नम्बर 138 रकबा 2.00एकड़ अनावेदक के स्वत्व अधिपत्य की भूमि थी जिसने उक्त भूमि को निगरानीकर्ता के पक्ष मे0 मुबलिग 13000/- प्रतिफल प्राप्त कर साधारण विक्रय के द्वारा निगरानीकर्ता के पक्ष मे अन्तरित कर उसके विक्रय का लेख निष्पादित कि एवं उक्त भूमि पर आवेदक/निगरानीकर्ता को अधिपत्य प्रदान किया जि पर वर्ष 2000 यानी अर्जन के समय से ही आवेदक काबिज होकर उसमे मकान, कूप बनाकर बतौर स्वामी एवं अधिपत्यधारी उपभोग करने लगा तथा उक्त विक्रय शुदा भूमि का आवेदक के नाम विधिवत नामान्तरण पंजी के माध्यम से अनावेदक की सहमति पर तहसीलदार उप तहसील मड़वास द्वारा नामान्तरण स्वीकार किया गया जिससे उक्त भूमि का निगरानीकर्ता को भूमिस्वामी एवं अधिपत्यधारी के रूप मे खसरे मे दर्ज

1.0

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 2586–एक/2012 निगरानी जिला सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि आदि के हस्ताक्षर
11-8-17	यह निगरानी तहसीलदार उप तहसील मड़वास जिला सीधी के प्रकरण कमांक 21 अ–74/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 28–3–12 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 केअंतर्गत प्रस्तुत की गई हैं। 2/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार उप तहसील मड़वास के आदेश दिनांक 28–3–12 में आये तथ्यों के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार व्दारा यह आदेश अनुविभागीय अधिकारी मझौली के प्रकरण कमांक 23/2009–10 अपील में पारित आदेश दिनांक 27–12–11 के पालन में देते हुये अभिलेख दुरूस्त कराया है जिसके कारण तहसीलदार उप तहसील मड़वास जिला सीधी का आदेश दिनांक 28–3–12 अपील/निगरानी योग्य नहीं है । कनिष्ट न्यायालय यदि वरिष्ठ न्यायालय के आदेश का पालन कराता है तब कनिष्ट न्यायालय के पालन कराने वाले आदेश के विरूद्व अपील / निगरानी न होकर उसी वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के विरूद्व अपील/निगरानी होगी। 3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है । सदस्य	